बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

<u>विज्ञापन</u>

किशोर न्याय अधिनियम (बालकों के देख-रेख एंव संरक्षण), 2015की धारा-47 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में सम्प्रेक्षण गृह (Observation Home) के संचालन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में अरवल, कटिहार, मधुबनी, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, औरंगाबाद, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, किशनगंज, भोजपुरएवं सारण जिले में 50 बालकों की आवासीय क्षमता वाले सम्प्रेक्षण गृह का संचालन किया जाना है।

50 बालकों वाले प्रत्येक भवन का मानदंड निम्नवत होगा:-

क्र0सं0	विशिष्टियाँ	क्षेत्रफल की विनिर्दिष्टतायें
1	2 शयनशाला (डोरमेटरी)	25 बालकों के लिए प्रत्येक 1000 वर्ग फुट की अर्थात 2000 वर्ग फुट
2	2 कक्षाएं	25 बालकों के लिए 300 वर्ग फुट की अर्थात 600 वर्ग फुट
3	रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष	प्रत्येक 10 बालकों हेतु 75 वर्ग फुट अर्थात 750 वर्ग फुट
4	रसोई	250 वर्ग फुट
5	भोजन कक्ष	800 वर्ग फुट
6	भंडार गृह	250 वर्ग फुट
7	मनोरंजन कक्ष	300 वर्ग फुट
8	पुस्तकालय	500 वर्ग फुट
9	5स्नान घर	प्रत्येक 25 वर्ग फुट की अर्थात 125 वर्ग फुट
10	8 शौचालय	प्रत्येक 25 वर्ग फुट की अर्थात 200 वर्ग फुट
11	कार्यालय कक्ष	(क) 300 वर्ग फुट (ख) प्रभारी व्यक्ति कक्ष 200 वर्ग फुट
12	परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष	120 वर्ग फुट
13	कार्यशाला	प्रति प्रशिक्षु 75 वर्ग फुट की दर से 15 बालकों के लिए 1125 वर्गफुट
14	प्रभारी व्यक्ति हेतु आवास	(क) प्रत्येक 250 वर्ग फुट के 2 कक्ष (ख) रसोई 75 वर्गफुट (ख) स्नान घर सह शौचालय 50 वर्ग फुट
15	किशोर न्याय बोर्ड 2 कक्ष	प्रत्येक 300 वर्ग फुट की अर्थात 600 वर्ग फुट
16	खेल का मैदान	कुल बालकों की संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र
17	सुरक्षा प्रहरी हेतु बैरक	(क) 300 वर्ग फुट (ख) रसोई 75 वर्गफुट (ग) स्नान घर सह शौचालय 50 वर्ग फुट

कुल 8920 वर्ग फुट

उक्त गृह हेतु किराया का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 50000/- रूपया निर्धारित है। इच्छुक मकान मालिक अपना आवेदन संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय (email ID- dirdsw-bih@nic.in) पर भी उपलब्ध करायेंगे।

गृह चयन हेतु मानदंड-

1. सम्प्रेक्षण गृह के चयन हेतु उपरोक्त वर्णित अर्हता को पुरा करने वाले गृहों का स्थलीय जॉच सत्यापन के पश्चात अंतिम निर्णय किया जायेगा।
2. जिला एवं सत्र न्यायालय से 01 किलोमीटर की परिधी में आनेवाले गृहों को वरीयता दी जायेगी।
3. चयनित भवन में सुरक्षा हेतु चाहरदिवारी आवश्यक है।
4. चयनित भवन के लिए किराया एकरारनामा तीन वर्ष के लिए किया जायेगा, जिन्हें आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एकरारनामा के पूर्व चयनित भवन का नगर निगम/नगरपालिका से निर्गत हॉल्डिंग टैक्स रसीद/बिजली का बिल तथा मकान मालिक का PAN नंबर आवश्यक होगा।
5. आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भवन की संरचना में छोटे-मोटे बदलाव किये जा सकेंगे।

इच्छुक आवेदको द्वारा विस्तृत जानकारी के लिए सम्बंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क करते हुए विहित प्रपत्र मे आवेदन किया जा सकता है ।

22-02-25

निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।

इच्छुक मकान मालिकों द्वारा किये जाने वाले आवेदन का प्रपत्र संलग्न है:-

क्र0 सं0	आवेदक/मकान से संबंधित विशिष्टियाँ	विवरणी
1	मकान मालिक का नाम	
2	मकान मालिक का वर्तमान पता	
3	मकान की अवस्थिति से संबंधित सूचनाएँ	
	i. मकान का पता	
	ii. जिला एवं सत्र न्यायालय से दूरी (कि0मी0 में)	
	iii. विज्ञापन में वर्णित विशिष्टियों के आलोक में उपलब्ध कमरों की संख्या एवं कुल उपलब्ध क्षेत्रफल	
	iv. सुरक्षा हेतु चाहरदिवारी उपलब्ध (हाँ/नहीं)	
4	मकान मालिक का PAN नं0	
5	मकान मालिक का सम्पर्क संख्या/मो0 नं0	
6	मकान में यदि सह-हिस्सेदार हैं तो उनकी सहमति (हाँ/नहीं)	
7	मकान हर तरह से विवाद मुक्त है (हाँ/नहीं)	

(क) आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात:-

1. मकान मालिक का PAN नं0
2. मकान में यदि सह-हिस्सेदार हैं तो सभी हिस्सेदारों की लिखित/हस्ताक्षरित सहमति
3. मकान यदि Bank Loan पर बना है:-
   i. Loan अगर अदा कर दी गई हो तो Bank से निर्गत No dues certificate की कॉपी
   ii. Loan यदि चल रहा हो तो मकान को किराए/लीज पर देने हेतु बैंक से निर्गत NOC की कॉपी

आवेदक का हस्ताक्षर।